भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3069
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

राज्य शासकीय विश्विद्यालय

3069. **श्री बसवराज बोम्मई:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य शासकीय विश्वविद्यालयों (एसपीयू) में शासन संरचनाओं में सुधार के लिए, विशेषकर अधिक स्वायत्तता, नेतृत्व क्षमता निर्माण और निर्णय लेने में पारदर्शिता के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार बदलती हुई नौकरियों की जरूरतों के अनुरूप राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के भीतर इंटर्नशिप, शिक्षुता और कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की क्या योजना बना रही है; और

(ग) क्या सरकार की राज्य शासकीय विश्वविद्यालयों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) अथवा निष्पादन-आधारित वित्तपोषण जैसे नवाचारी वित्तपोषण मॉडल शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) नीति आयोग की राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के जरिए गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा का विस्तार पर रिपोर्ट फरवरी 2025 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट नेतृत्व क्षमता निर्माण और वर्धित स्वायत्तता के माध्यम से शासन संरचनाओं को बेहतर बनाने, इंटर्नशिप और शिक्षुता के जरिए नौकरी पाने की संभावना बढ़ाने और पीपीपी जैसे अभिनव वित्तपोषण मॉडलों के जरिए संस्थागत और सिस्टेमिक फंडिंग और वित्तपोषण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करती है। यह

रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की है और सभी राज्यों के लिए राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्तरों पर विभिन्न नीतिगत बदलावों का सुझाव देती है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, मालवीय मिशन टीचर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी), पीएम- इंटर्नशिप स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम- विद्यालक्ष्मी) एवं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम- उषा) जैसे केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रम और स्कीमें राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम, पीपीपी मोड में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कानूनी प्राधिकरणों जिसमें उच्च शिक्षा क्षेत्र के प्राधिकरण भी शामिल है, पर लागू होती है, चाहे जो भी मामला हो।

*****